न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

(पीठासीन अधिकारीः श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्या :– 52 / 2025 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 19 / 06 / 2025
निर्णय दिनांक :– 08 / 10 / 2025

अनवान

1. हरिप्रकाश पिता तुलसीराम जाति सालवी निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रार्थी

बनाम

1. मोतीसिंह पिता बलवंतसिंह जाति राजपूत निवासी बिलाखी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. कैलाश कंवर पत्नी रोड़सिंह जाति राजपूत निवासी बिलाखी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. देवीसिंह पिता रोड़सिंह जाति राजपूत निवासी बिलाखी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. शम्भुसिंह पिता फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी बिलाखी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. शंकरसिंह पिता गोरधनसिंह जाति राजपूत निवासी बिलाखी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. बद्री पिता सुआ रायका जाति रेबारी निवासी बिलाखी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. थानमल पिता सुआ रायका जाति रेबारी निवासी बिलाखी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम बिलाखी पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की सीमा में प्रार्थी की सहखातेदारी कृषि आराजीयात स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 07 आराजी संख्या 193 रकबा 0.1600, 194

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)

रकबा 0.2900, 174 रकबा 1.0900, 172 रकबा 0.2700, 58 रकबा 0.1600, 59 रकबा 0.2700, 137 रकबा 0.5100, 139 रकबा 0.9000 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 06 आराजी संख्या 219 रकबा 0.3700, 220 रकबा 1.3000 कुल खसरा 10 कुल रकबा 5.3200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी होकर प्रार्थी की खातेदारी होकर प्रार्थी इस पर कब्जे काश्त होकर इसका उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 वर्णित कुलिया आराजीयात पर प्रार्थीगण कि निर्बाध रूप से काश्त वगेरा करता चला आ रहा है किन्तु प्रार्थी की उक्त के चारों तरफ पत्थर कि पक्की बाउन्डरी सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की उक्त वर्णित सीमा से मिलते हुए पड़ौसी है। हर समय प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है जिससे फसल बुआई कटाई के समय सीमा संबंधित विवाद होता है तथा अनावश्यक प्रार्थी को मुकदमे बाजी के लिये विवश होना पड़ता है। मौके पर अंशाति कायम रहती है जिससे प्रार्थीगण शांति पूर्वक काश्त उपयोग उपभोग भूमि का नही कर पा रहे है। प्रार्थी कि उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि के पास अप्रार्थीगण का पड़ौस है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि से अप्रार्थीगण की भूमि मिलती है व अप्रार्थीगण प्रार्थीगण कि उक्त भूमि के पड़ोसी है विपक्षीगण प्रार्थीगण के मध्य भूमि सीमा विवाद बना रहता है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि को अपना बता कर नाजायज अतिक्रमण करने की मंशा रखते हैं इस लिए प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिससे भूमि संबंधित होने वाले विवाद समाप्त हो जायेगा। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है कि नपती पत्थरगढ़ी हो जाती तो प्रार्थीगण को फसलों कि बुआई कटाई समय विपक्षीगण ये सीमा बाबत जो विवाद बना रहता है। यह हमेशा के लिय समाप्त हो जाएगा तथा प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काश्त वगेरा व भूमि का उपयोग कर सकेंगे। अतः श्रीमान् जी

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात भूमि की पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार हैः–

111. Decision of disputes as to boundaries – (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the exiting survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section, the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party bease entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

128. Boundary disputes – All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Records Officer in the manner laid down in Section 111.

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

ग्राम बिलाखी पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में वर्तमान खाता संख्या 07 आराजी संख्या 193 रकबा 0.1600, 194 रकबा 0.2900, 174 रकबा 1.0900, 172 रकबा 0.2700, 58 रकबा 0.1600, 59 रकबा 0.2700, 137 रकबा 0.5100, 139 रकबा 0.9000 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 06 आराजी संख्या 219 रकबा 0.3700, 220 रकबा 1.3000 कुल खसरा 10 कुल रकबा 5.3200 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी सहखातेदारी में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(43) में अभिधारी को परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा में एक सह अभिधारी भी अभिधारी के रूप में अभिव्यक्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम बिलाखी पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में वर्तमान खाता संख्या 07 आराजी संख्या 193 रकबा 0.1600, 194 रकबा 0.2900, 174 रकबा 1.0900, 172 रकबा 0.2700, 58 रकबा 0.1600, 59 रकबा 0.2700, 137 रकबा 0.5100, 139 रकबा 0.9000 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 06 आराजी संख्या 219 रकबा 0.3700, 220 रकबा 1.3000 कुल खसरा 10 कुल रकबा 5.3200 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकरों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा**

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

सुपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। पालना हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को लिखा जावें पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08 / 10 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)